1861 का भारतीय परिषद अधिनियम(भाग-2)

THE INDIAN COUNCIL ACT,1861

For :P.G.Sem-3,CC-13

अधिनियम का मुख्य प्रावधान

- इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह परिषद में अधिक कार्य क्षमता तथा सुविधा के लिए नियम बना सकें। इस अधिकार के प्रयोग से कैनिंग ने भिन्न-भिन्न विभाग भिन्न-भिन्न कार्यकारी पार्षदों को दे दिए और भारत में **मंत्रिमंडलीय व्यवस्था(Cabinet System)** की नींव रखी। इससे पूर्व सभी कार्य सभी पार्षदों को संयुक्त रूप से देखने होते थे।
- सपरिषद गवर्नर जनरल को इस बात की अनुमति दे दी गई कि वह परिषद के किसी भी सदस्य को अपनी अनुपस्थिति में परिषद की बैठकों की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकें।
- कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया ।इन्हें वायसराय को मनोनीत करना था तथा इनका कार्यकाल 2 वर्ष निश्चित

Scanned with CamScanner

किया गया। इसके अतिरिक्त यह प्रावधान था कि इनमें से न्यूनतम 50% सदस्य अशासकीय होंगे। यद्यपि भारतीयों की नियुक्ति के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था परंतु व्यवहार में कुछ ऊंची श्रेणी के भारतीयों को अशासकीय सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया।

- इस विधान परिषद का काम केवल कानून बनाना था। इसकी शक्तियां अत्यंत सीमित थी। इसका प्रशासन,वित्त अथवा अन्य कार्य में हस्तक्षेप करने अथवा प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं था।
- गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई ।यह अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे।
- वायसराय को विधान परिषद द्वारा पारित विधियों को वीटो करने की शक्ति प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को अस्वीकृत कर सकती थी।
- इस अधिनियम के अनुसार मुंबई तथा मद्रास प्रांतों की सरकारों को अपने प्रदेश के लिए कानून बनाने तथा संशोधन करने का अधिकार पुनः मिल गया।

Scanned with CamScanner

- प्रांतीय गवर्नर को या अधिकार दिया गया कि वे प्रांतीय महाधिवक्ता (Advocate General) को तथा न्यूनतम 4 और अधिकतम 8 अतिरिक्त सदस्यों को विधान उद्देश्यों के लिए मनोनीत कर सके ।यहां भी यह व्यवस्था लागू की गई कि इनमें से न्यूनतम 50% सदस्य अशासकीय होंगे।
- गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह बंगाल प्रेसिडेंसी तथा उत्तर पश्चिमी प्रांतों (आधुनिक उत्तर प्रदेश)के लिए भी अलग से विधान परिषदें स्थापित करें। इस प्रावधान के अनुसार **1862** में **बंगाल** के लिए ,**1886** में **उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत** तथा **1897** में **पंजाब** के लिए अलग से विधान परिषदें स्थापित की गई।
- इन विधान परिषदों की शक्ति कम कर दी गई । कुछ विषयों में विधि बनाते समय गवर्नर जनरल के पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त कोई भी बिल बिना उसके हस्ताक्षर के विधि का रूप ग्रहण नहीं कर सकता था। प्रांतीय कौंसिल प्रांत के अच्छे प्रशासन के लिए विधि का निर्माण कर सकती थी पर पोस्ट एवं तार, सिक्के ठालने ,विदेश संबंध, सेना आदि जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के प्रश्नों पर उसे विधि बनाने का अधिकार नहीं था।

Scanned with CamScanner

- इस अधिनियम द्वारा वायसराय को विधाई कार्य के लिए नए प्रांतों गठन तथा उसके लिए उप गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल को किसी प्रेसिडेंसी ,प्रांत या प्रदेश को विभाजित करने अथवा उनकी सीमाएं घटाने बढ़ाने का भी अधिकार दिया गया।

<u>अधिनियम का मूल्यांकन</u>

1861 अधिनियम के जरिए सरकारी कार्य प्रणाली के ढांचे का धीरे धीरे गठन तथा एकीकरण हुआ। तीनों प्रेसिडेंसी एंव अन्य प्रांतों में एक समान पद्धति लागू कर दी गई। सपरिषद गवर्नर जनरल की सभी प्रांतों तथा निवासियों पर वैधानिक तथा प्रशासिनक सत्ता स्थापित कर दी गई। पोर्टफोलियो प्रथा गवर्नर जनरल को अनावश्यक कार्य करने से उबारा जिससे वह महत्वपूर्ण कार्यों में अपने को लगा सका ।इस अधिनियम ने मुंबई, मद्रास तथा अन्य प्रांतों को विधान संबंधित शक्तियां देकर एक ऐसे विकेंद्रीकरण की नींव डाली जिसके फलस्वरूप 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वशासन दे दिया गया।

इस एक्ट में कतिपय दोष भी मौजूद थे ।पहले से चले आ रहे सरकारी सदस्यों चूंकि शक्तिशाली और बहुमत

Scanned with CamScanner

में थे इस कारण गैर सरकारी सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं थी । राजाओं और जमींदारों के रूप में गैर सरकारी सदस्य जनता की समस्याओं को न समझ सके या प्रतिनिधि कर सके। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई। यह अध्यादेश विधिवत बने कानून की भांति अनुकरणीय होते थे। काउंसिल अपने में या रचना या कार्य के आधार पर विधायिकायें नहीं कही जा सकती थी। तभी तो चार्ल्स वुड ने प्रस्तावित विधान परिषदों की उपमा भारतीय राजाओं के दरबारों से की थी जहां सामंत वर्ग अपने अपने विचार प्रकट करते थे परंतु राजा उनका परामर्श मानने को बाध्य नहीं था।

BY:ARUN KUMAR RAI
Asst. Professor.
P.G.Dept.of History
Maharaja College,Ara.

Scanned with CamScanner